अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना

उद्देश्य :-इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से राहत प्रदान करना है।

स्वरूप :-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से राहत प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पूरे राज्य में लागू है। राज्य में अनसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार होने की स्थिति में सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है।

अत्याचार की विभिन्न श्रेणियों के लिए 10,000/- रू0 से लेकर 2,00,000/- रू0 तक की राहत राशि प्रदान करने का प्रावधान है। परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थाई असमर्थता की स्थिति में 2,00,000/- रूपये तथा महिलाओं के लज्जाभंग एवं शीलहरण के मामलों में 50,000/- रू0 की सहायता राशि देय है। इस योजना के अन्तर्गत थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही 50

प्रतिशत राशि का भुगतान तुरन्त किया जाता है, तथा मामलें के निष्पादन के पश्चात शेष 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

प्रक्रिया :-इस योजना के अन्तर्गत अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत मामला दर्ज कराना आवश्यक है। राशि का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।